न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 78/2019
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

दिवाकर वालिया पुत्र स्व0 रमणीक कुमार जाति वालिया निवासी 12 जैड तह0 व जिला श्री गंगानगर, वर्तमान निवासी फलेट न0 बी–402, सुखसागर अपार्टमेंट, प्लाट न0 52, पहाडगंज, दिल्ली।

.......वादी

बनाम

1. श्रीमती संयोगिता पत्नी स्व0 रमणीक कुमार जाति वालिया निवासी 12 जैड तह0 व जिला श्री गंगानगर)
2. रत्नाकर वालिया पुत्र स्व0 रमणीक कुमार जाति वालिया निवासी 12 जैड तह0 व जिला श्री गंगानगर
3. किरण वालिया पुत्री स्व0 रमणीक वालिया पत्नी विपिन वालिया निवासी फलेट न0 ए–902 महारानी अवंती बाई अपार्टमेंट, प्लाट न0 15–बी, सैक्टर 22, द्वारका, दिल्ली।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री सुभाष मिढ्ढा (वादी)
अविक्ता श्री जगमोहन आहुजा (प्रतिवादी 1 ता 4)

दिनांक 28.02.2020

– निर्णय –

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी के पिता स्व0 रमणीक कुमार पुत्र कृपाराम निवासी 12 जैड के नाम से चक 12 जैड तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 44, मु0 न0 29 के 10 बीघा, मु0 न0 38 के 25 बीघा, कुल 35 बीघा खातेदारी दर्ज थी, जो कि उसके पूर्वजों से मिली हुई थी। इंतकाल न0 75 के खाना सं0 7 में उसके नाम दर्ज थी, इंतकाल की नकल शामिल है। वादी के पिता का देहांत दिनांक 03.10.87 को हुआ, जिसके जायज वारिस वादी व प्रति0 सं0 1 ता 3 है, परिवार में प्रति० सं0 1, वादी के पिता के देहांत के बाद परिवार की मुखिया होने के कारण प्रति0 सं0 1 के कहने पर तथा यह कहने पर कि जमीन उसके नाम लगवा दी जावें, वह सभी को बाद में बांटकर दे देगी, अतः वादी व प्रति0 सं0 2,3 ने प्रति0 सं0 1 के हक में दस्तबरदारी कर दी, इसी कारण इंतकाल सं0 75 के आधार पर प्रति० सं० 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। 4. यह कि परिवार बढ जाने से व अलग–अलग रहने के कारण प्रति० सं० 1 ने अपने [illegible] के कथन के अनुसार पारिवारिक समझौता द्वारा वादी को निम्नलिखित भूमि दी [illegible] कि उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है चक 12 जैड तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 [illegible] के किला न0 21 ता 25 सालम सालम, किला न0 16 ता 20 सा[illegible] 15 प्रत्येक [illegible] व किला न0 6 ता 10 प्रत्येक 10–10 बिस्वा, किला न0 11 [illegible] 15 के साथ लगती हु[illegible] 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि। वादी ने उपरोक्त 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि में भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधार किया हुआ है तथा भूमि कीमती बन चुकी है। अब प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह वर्तमान में उपरोक्त भूमि जो खाता सं0 62/60, मु0 न0 29 व 38 की भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, अतः वादी के लिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाना तथा उपरोक्त भूमि 17 बीघा 10 बिस्वा को अपनी खातेदारी घोषित करवाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाना आवश्यक है, पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:09 IST
Reason: SelfAttested

के वारिस प्रमाण–पत्र तथा वर्तमान जमाबंदी चक 12 जैड के खाता सं0 62/60. मु0 न0 29 व 38 की कुल 8.855 हे0 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है एवं पारिवारिक समझौता की लिखित की नकल भी शामिल है। यदि प्रतिवादीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो गए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः वादी के लिए दावा हाजा लाना तथा अधिकारों की घोषणा करवाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से बार–बार आग्रह किया कि वह पारिवारिक समझौता के आधार पर उपरोक्त 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि, का वादी को खातेदार काश्तकार, हकदार मानकर जान वादी के नाम दर्ज करवाये मगर प्रतिवादीगण लालचवश होने व प्रति सं0 1, प्रति0 सं0 2 व 3 के प्रभाव में होने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 30.06.19 को साफ इंकारी है, जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः दावा वादी काबिल समाअत अदालतवाला है, तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। प्रति0 सं0 4 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें–

) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 12 जैड तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 62/60, मु0 न0 29 व 38 की कुल 1855 हे0 में से पारिवारिक समझौता के आधार पर वादी को चक 12 जैड तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 38 के किला न0 21 ता 25 सालम सालम, किला न0 16 ता 20 सालम सालम तथा किला न0 11 ता 15 प्रत्येक सालम व किला न0 6 ता 10 प्रत्येक 10–10 बिस्वा, किला न0 11 ता 15 के साथ लगती हुई, कुल 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार, काश्तकार, हकदार होने का घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

) अन्य कोई अनुतोश जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से दिनांक 13.08.2019 को जवाब दावा पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण संख्या जिस प्रकार से वर्णित है, इस सीमा तक स्वीकार है कि पिता के देहान्त 03.10.1987 को हो गया था शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वर्णित भूमि वादी के कब्जा में है, पारिवारिक समझौता के तयों से इन्कारी है। काश्त मौका पर वादी द्वारा की जा रही है। वादी न तो कभी प्रतिवादीगण से मिला तथा न ही कोई बातचीत हुई। वादी द्वार वाद में चाहे गये अनुतोश "क" से "ग" में चाहा गया अनुतोष किसी प्रकार से वादी पाने का हकदार नहीं है।

अतिरिक्त कथन–वादी द्वारा उक्त वाद के केवल मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो विशेष हर्जाना से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद वादी विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:09 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार तहसीलदार द्वारा राज्य पक्ष की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वर्तमान में चक 12 जैड मु.नं. 29,28, कुल 8.85 हैक. भूमि संयोगिता पत्नी नवीक कुमार के नाम खातेदार दर्ज है। महिला की सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पतित की श्रेणी में आती है। माता/पुत्र के विभाजन का प्रावधान नहीं है। वादी पूर्व में अपना हिस्सा छोड चुका

है। जिसकी दस्तबरदारी का उल्लेख है। यह प्रकरण राजस्व हानि का है। अतः इसे खारिज फरमाया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति एवं पारिवारिक राजीनामा होने के कारण विवाद्यकों का निर्धारण करने की आवश्कता नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नही किये गये।

वादी द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

।। आदेश ।।

बहस सुनी गई। वादी द्वारा पक्षकारान में हुए राजीनामा की फोटो प्रति पेश की। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर अधिवक्ता द्वारा समाहित बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति एवम् राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है–

वादी को चक 12 जैड तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 38 के किला न0 21 ता 25 सालम सालम, किला न0 16 ता 20 सालम सालम तथा किला न0 11 ता 15 प्रत्येक सालम व किला न0 6 ता 10 प्रत्येक 10–10 बिस्वा, किला न0 11 ता 15 के साथ लगती हुई, कुल 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:09 IST
Reason: SelfAttested